an>

Title: Laid 72nd Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदया, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज कुछ क्लेरिफिकेशन सदन के सामने रखना चाहती हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चाहे जब नोटिस दें, उन्होंने क्लेरिफिकेशन देने के लिए पहले कहा है।

â€¦(व्यवधान)

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्षा जी, अगर वे लोग मामला उठाना चाहते हैं तो पहले उनको बोलने दीजिए, उनके बाद मैं बोलूंगी।

अध्यक्षा जी, आप पहले उनको अनुमति दे दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग पहले मंत्री जी का क्लेरिफिकेशन सुन लीजिए, फिर आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चाहे जब लिखकर देते हैं। एक बात आप समझ लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : कोई एक व्यक्ति विषय को मेंशन करे, फिर मैडम बोलेंगी, फिर स्पष्टीकरण होगा।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहना चाहूंगी कि अलाऊ तो माननीय अध्यक्ष महोदया करेंगी, मुझे आपत्ति नहीं है, अगर आप विषय उठाते हैं। मैं अलाऊ करने वाली कौन होती हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उन्हें विषय उठा लेने दें।

माननीय अध्यक्ष : जीरो-आवर में विषय उठाने दूंगी, आप बैठिये।